सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-312/2022 दिनांक- 22-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- तरवां

अंतरराज्यीय सक्रिय अपराधी 01 कुन्तल अवैध गांजे (कीमत लगभग 07 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार, कन्टेनर वाहन सीज

दिनांक 22.09.22 को थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह व STF के पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्मवेक्षण मे STF मुख्यालय से उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा दिनांक 21.9.2022 को STF मुख्यालय से रवाना होकर जनपद आजमगढ के थाना तरवा अन्तर्गत क्षेत्र मे बाहरियाबाद तरवा रोड पर आ रहे थे कि मलकन गांव के पास सूचना मिली कि एक कनटेनर ट्रक जिसका नं0 HR38V3443 है जो आसाम से चल कर वाहरियाबाद से तरवां की ओर जा रही है उसी कनटेनर मे अवैध गाजाँ लदा हुआ है, तत्काल मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अपना नाम मुकेश यादव S/0 रामदुलारे यादव नि0 ग्रा0 गहनी फौलाद पुर जनपद गाजीपुर बताया उसके बाद कडाई से पुछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी गाडी मे धान की भूसी के नीचे अवैध गाँजा लदा हुआ है चूंकि मामला NDPS Act से सम्बन्धित है तथा रात्रि का समय है अतः वाहन व अभियुक्त की तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी होना नियमानुसार आवश्यक है तदोपरान्त उ0नि0 द्वारा जरिये दुरभाष से क्षेत्राधिकारी अधिकारी लालगंज मनोज कुमार सिंह रघुवंशी को वस्तु स्थित से अवगत कराया तो कुछ समय बाद क्षेत्राधिकारी लालगंज उपरोक्त मौके पर आये जिनकी निगरानी मे पकडे गये व्यक्ति के कब्जे वाली कनटेनर ट्रक की तलाशी ली गयी तो ट्रक की बाडी के अन्दर लदी धान की भूसी को हटाकर देखा गया तो खाकी रंग का टेप लगे हुए 10 पैकिट बरामद हुआ प्रत्येक पैकेट का वजन 10 किलो ग्राम कुल वजन 1 कुन्तल होना पाया गया तथा एक ट्रक (कन्टेनर) को धारा 207M.V. Act मे सीज कराया। अभियुक्त को दिनांक 22.9.2022 को समय 00.45 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 262/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना स्थानीय पर मुकदमा लिखा गया अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम आसाम राज्य के उदालगुडी से लोड कराकर लाते है परन्तु गाँजा लोड कराने वाले व्यक्ति का नाम पता नहीं जानते है परन्तु (माल)गाँजा मगाँने वाले व्यक्ति का नाम जानते है उसका नाम सुनील यादव S/0 शामू यादव R/O गहनी फौलादपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है और साहबराज को खरिहानी मे देना था परन्तु आप लोगो ने पकड लिया उक्त लोग हमे एक चक्कर का गाडी भाडा व अन्य खर्चे के रुपये 80000/-रुपये देते है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 262/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त – 1- मुकेश यादव पुत्र रामदुलारे यादव सा0 गहनी फौलादपुर थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर

बरामदगी-

1-कनटेनर गाड़ी मे 1 क्विंटल गांजा (कीमत लगभग 07 लाख रूपये/-)

2-एक अदद मोबाइल फोन टेली फोनो कालेरंग, एक अदद आधारकार्ड और कुल 1000/-रुपये बरामद हुआ

पुलिस टीम- क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के निर्देशन में आज दिनांक 22.09.22 को थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह व STF के पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण मे STF मुख्यालय से उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी, HC चन्द्रप्रकाश मिश्र, HC मृत्युजंय कुमार सिंह कमाण्डो दयानन्द मिश्रा